न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–874/2026

सिवान मुफस्सिल थाना कांड सं0–170/2026 से उत्पन्न

अंतर्गत धारा–115(2), 126(2), 333, 74, 76, 303(2), 3(5) बी.एन.एस.

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

इमरान उर्फ इमरान अंसारी व अन्य ..... आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थितः–श्री गौतम सिंह, विद्वान अधिवक्ता, आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से
श्री भागवत राम, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

29.04.2026

आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. इमरान उर्फ इमरान अंसारी 2. इम्तेयाज उर्फ अमतियाज अहमद 3. समीर उर्फ समीर अहमद 4. फिरोज उर्फ मो0 फिरोज 5. हसीना खातुन 6. अंगूरी उर्फ शाहीन प्रवीन की ओर से सिवान मुफस्सिल थाना कांड संख्या 170/2026, अंतर्गत धारा–115(2), 126(2), 333, 74, 76, 303(2), 3(5) बी.एन.एस. के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन संचालित किया गया। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचिका इसरत खातुन के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि घटना के पूर्व सभी अभियुक्तगण सूचिका के घर के अंदर घुसकर उसके तथा उसकी लड़की के साथ छेड़खानी किये थे जिसमें इमतीयाज, समीर, इमरान, फिरोज, हसीना खातुन, अंगुरी सभी साकिन खुरमाबाद थाना मुफस्सिल जिला सिवान के निवासी हैं। दिनांक 21.03.2026 को बारह बजे के करीब सूचिका के घर के अंदर घुसकर इमतयाज, इमरान सूचिका की लड़की सना खातुन को बांह पकड़कर शारीरिक संबंध करना चाहते थे। सूचिका की पुत्री हल्ला–गुल्ली की तो भाग निकले एवं दिनांक 22.03.2026 को सुबह में सूचिका घर से बाहर निकली तो सभी लोग गाली–गलौज एवं मारपीट करना चालू कर दिये। इसी बीच उसके पति घर से निकले तो उसके साथ मारपीट करने लगे तथा सूचिका के घर के अंदर घुसकर उसकी लड़की के साथ फिर से नाजायज संबंध करना चालू कर दिये एवं लाठी डंडा से समीर, इमरान सूचिका की लड़की सना खातुन के पेट में लाठी से मारने लगे। सूचिका की लड़की तीन माह की गर्भवती है जिसको मारपीट कर जख्मी कर दिये। सूचिका की लड़की के गला से मंगलसूत्र, कान का बाली मारपीट कर झपट लिये तथा सूचिका के गला से मंगलसूत्र, कान का झूमका मारपीट कर झपट लिये। अभियुक्तगण उसे धमकी दिये कि अगर केस करोगी तो सभी परिवार को जान से मरवा देंगे।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदनपूर्वक बहस किया गया कि वे निर्दोष हैं उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें पारिवारिक विवाद के कारण झूठे मुकद्मा में फंसाया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई

लगातार
29.04.2026

भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से आगे यह निवेदन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह भी निवेदन किया गया कि कथित घटना को लेकर इस वाद के सह अभियुक्त फिरोज की मां मैमुलनिशा के द्वारा मुफस्सिल थाना कांड सं0 169/2026 दाखिल किया गया है जो कि इस मुकद्मा का पलटा वाद है। वास्तव में अभियुक्तगण ने मिलकर सूचक एवं परिवार के लोगों के साथ मारपीट किया था जिसके लिए मुफस्सिल थाना कांड सं0 169/2026 को युनूस मियां की पत्नी मैमुलनिशा के द्वारा दर्ज कराया है और उसी मुकद्मा से बचने के लिए यह झूठा मुकद्मा किया गया है। धारा 74 एवं 76 303(2) बी.एन.एस. के तहत लगाया गया अभियोग बनावटी एवं सतही प्रकृति का है। अभियोजन कहानी झूठा, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के फरार होने तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। अतः जमानत आवेदन स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत निवेदन का विरोध किया गया और कथन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध सूचिका एवं उसकी पुत्री के साथ मारपीट कर उसका आभूषण ले लिये जाने तथा सूचिका की पुत्री के साथ छेड़ खानी करने का अभियोग है और आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद सिवान मुफस्सिल थाना कांड संख्या 170/2026, आवेदक/अभियुक्त के द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा–115(2), 126(2), 333, 74, 76, 303(2), 3(5) बी.एन.एस. के अंतर्गत अपराध कारित करने के लिए संस्थित किया गया। कांड दैनिकी की कंडिका 02 के अवलोकन से विदित होता है कि सूचिका और उसकी पुत्री ने किसी सरकारी अस्पताल या किसी डॉक्टर से इलाज नहीं कराया था। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 76, 303(2), 3(5) के अंतर्गत लगाए गए अभियोग बनावटी एवं सतही प्रकृति की है और अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि कथित घटना को लेकर इस वाद के सह अभियुक्त फिरोज की मां मैमुलनिशा के द्वारा मुफस्सिल थाना कांड सं0 169/2026 दाखिल किया गया है जो कि इस मुकद्मा का पलटा वाद है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. इमरान उर्फ इमरान अंसारी 2. इम्तेयाज उर्फ अमतियाज अहमद 3. समीर उर्फ समीर अहमद 4. फिरोज उर्फ मो0 फिरोज 5. हसीना खातुन 6. अंगूरी उर्फ शाहीन प्रवीन की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकारयोग्य प्रतीत होता है। तद्नुसार उक्त आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा चार सप्ताह के अंदर संबंधित न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर या गिरफ्तारी की अवस्था में इनकी ओर से विद्वान विचारण न्यायालय के संतुष्टियोग्य मो0 20,000/–(बीस हजार) रूपये के समान राशि वाले दो प्रतिभू के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का निर्देश इस शर्त के साथ दिया जाता

<u>लगातार</u>
<u>29.04.2026</u>

है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण धारा 486 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शर्तों के अनुपालन हेतु शपथ पत्र से समर्थित उद्घोषण पत्र दाखिल करेंगे। दोनों प्रतिभू में से एक प्रतिभू आवेदकगण/अभियुक्तगण के निकट संबंधी होंगे। बंधपत्र दाखिल करते समय आवेदकगण/अभियुक्तगण एवं प्रतिभूगण का मोबाईल नम्बर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

लेखापित
ह0/–
(सुशील कुमार त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सिवान।